सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 290
04/3/2010

पेंशन फंड के बेहतर निवेश हेतु एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित

पटना, 04 मार्च :: राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 1–9–2005 से अपने कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है तथा कर्मियों का अंशदान काटकर राज्य सरकार के कोष में रखा जा रहा है। राशि का निवेश प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ आज एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है।इस अनुबंध पर राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के सेक्रेटरी–एक्सपेंडिचर श्री मिहिर सिंह तथा ट्रस्ट की ओर से उसके सी0ई0ओ0 श्री रायेलू ने हस्ताक्षर किए इसके पश्चात अगले वित्तीय वर्ष से एन0पी0एस0 ट्रस्ट को निवेशित करने के लिए स्थानांतरित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्य सचिवालय सभागार में आयोजित उक्त कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव– वित्त तथा राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बाद में प्रधान सचिव, वित्त ने पेंशन फंड की निवेश प्रक्रिया तथा कर्मचारियों के हितलाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि निवेश करने के बाद राज्य सरकार के विभिन्न कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में लगभग 25,000 कर्मी तुरंत लाभान्वित होंगे। इस योजना के कार्यान्वयन में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 1–4–2004 के पूर्व केन्द्र सरकार में पुरानी पेंशन योजना लागू थी जिसमें कर्मियों को पेंशन एवं उपादान मिलता था।

दिनांक 01–4–2004 से केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना लागू की गई है जिसके तहत कर्मचारियों के द्वारा 10 प्रतिशत पेंशन योजना के लिए अंशदान करना है और उसके बराबर राशि अंशदान के रूप में सरकार के द्वारा दी जाती है। इस राशि को निवेशित कर सभी कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान एवं तत्पश्चात मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार ही नयी पेंशन योजनान्तर्गत निधि विभिन्न पेंशन फंड कर्मचारियेां के बीच उसी अनुपात में आबंटित की जायेगी, जो अनुपात भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट औथोरिटी (PFRDA) की स्थापना पेंशन फंड को विकसित तथा नियंत्रित एवं वृद्धावस्था में अन्य सरकार तथा अंशदाताओं के हित की सुरक्षा करने के लिए की है। भारत सरकार के निदेश पर PFRDA द्वारा इस निधि द्वारा इस निमित N.P.S. TRUST की स्थापना की गयी है। N.P.S. आर्किटेक्चर (स्थापत्य) की स्थापना के तहत विभिन्न इंटरमीडियरीज को चयनित किया गया हैं लेखा जोखा Central Record Keeping Agency, National Securities Depository Limited (NSDL) द्वारा किया जाता है। राशि को निवेश करने के लिए PFRDA द्वारा तीन पेंशन फंड मैनेजर State Bank of India, UTI Bank एवं L.I.C का चयन किया गया है।